राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग/सीधी भर्ती 2013/नर्स–2/ए–67/2018/73 दिनांकः 24/02/2018

–:आदेश:–

निदेशालय के आदेश क्रमांकः नर्सिंग/सीधी भर्ती–2013/नर्स–2/ऐ–5/2016/246 दिनांक 22.08.2016 के द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के बिन्दु संख्या 1 (v) के अनुसार श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ नियुक्ति के पात्र नहीं होने के कारण श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ का नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 09.02.2016 पर किया गया चयन एवं दिनांक 10.02.2016 के द्वारा की गई नियुक्ति/पदस्थापन को निदेशालय के आदेश दिनांक 22.08.2016 के द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध अभ्यर्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9755/2016 अब्दुल वहीद बनाम सरकार प्रकरण में दिनांक 01.06.2017 को निम्न निर्णय पारित किया है:–

From perusal of the circular dated 15.07.2016, it is evident that the conviction of a person in itself is not sufficient to disqualify from service. While passing an order of cancellation of appointment or order of termination, it is necessary to see as to whether the conviction of the said offence amounts to moral turpitude or not. It is evident from the impugned order that the same has not been passed with application of mind and is also without specifying whether the petitioner was involved in a case of moral turpitude. It has also not been considered that the conviction of the petitioner has been suspended by the order of the High Court.

In view of the above, the order dated 22.08.2016 is quashed with liberty to the respondents to pass a fresh order in accordance with law keeping in mind the observation as above. The writ petition stands disposed of accordingly.

श्री अब्दुल वहिद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला– जोधपुर ग्रामीण द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक के विरूद्ध पुलिस थाना–पीपाड़ शहर के रिकार्ड के अनुसार मुकदमा नं0 103 दिनांक 20.05.2008 धारा–458, 324, 323, 307/34 भा0द0स0 3,1,10,एस0सी/एस0टी में दर्ज होकर चालान संख्या 68 दिनांक 18.06.2008 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम कोर्ट, बिलाड़ा में पेश किया गया होना अंकित किया है। जिसमें सैशन प्रकरण संख्या 26/2008 राज्य बनाम मो0 हनीफ वगैरह प्रकरण में माननीय विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) न्यायालय,जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से अभ्यर्थी अब्दुल वहीद के विरूद्ध धारा 323/34, 324 भा0द0सं0 एवं 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध साबित पाये जाने पर अभियुक्त अब्दुल वहीद को दोष सिद्ध किया जाकर धारा 324 आई.पी.सी. के आरोप में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000/–रू के अर्थदण्ड से एवं धारा 323/34 आई.पी.सी. के आरोप में 3 माह के साधारण कारावास एवं 250/–रू के अर्थदण्ड से एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में 6 माह के साधारण कारावास एवं 500/–रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

एस.बी.सिविल. अवमानना याचिका संख्या 1193/17 अब्दुल वहीद बनाम श्रीमती वीनू गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव व अन्य प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.02.2018 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अतिरिक्त शपथ पत्र में सेशन प्रकरण संख्या 26/2008 राज्य बनाम मोहम्मद हनीफ वगैरह प्रकरण में माननीय विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर अपील में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.03.2012 से दोष सिद्धि को निलम्बित करने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।

एस.बी.क्रिमिनल विविध प्रार्थना पत्र 1082/2012 अंतर्गत (एस.बी.क्रिमिनल अपील सं. 83/2011) अब्दुल वहीद बनाम राज्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय,जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 का अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.03.2012 से प्रार्थी अब्दुल वहीद को माननीय विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से धारा 324, 323/34 आई.पी.सी. व 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में की गई दोष सिद्धि को अपील के विचाराधीन रहने तक निलम्बित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 से अब्दुल वहीद की दोष सिद्धि को फौजदारी अपील के विचाराधीन रहने तक निलम्बित कर दिया जाने से निदेशालय के आदेश क्रमांक 35 दिनांक 31.01.2018 के द्वारा श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ का नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 09.02.2016 में किया गया चयन एवं दिनांक 10.02.2016 के द्वारा की गई नियुक्ति/पदस्थापन निरस्ती आदेश को अपास्त किया जाता है, फलस्वरूप अभ्यर्थी श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ को एस.बी.क्रिमिनल अपील सं. 83/2011 अब्दुल वहीद बनाम राज्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 की पालना में फौजदारी अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण करावें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग/सीधी भर्ती 2013/नर्स–2/ए–67/2018/73 दिनांकः 24/02/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन–जोधपुर।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी को उनके पत्र क्रमांक 4394–97 दिनांक 23.02.2018 के क्रम में।
5. श्री अब्दुल वहीद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ, नगर पालिका के पास पिपाड़ शहर, जिला–जोधपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

Sys.1/F/RBA/Order